



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
20.07.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-33/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0-गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0-09, जिला सरायकेला-खरसावाँ व्यक्तिगत तौर पर आयोग कार्यालय में उपस्थित रहे। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित रहे।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का बयान विरोधाभाषी है। अतः आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि दिनांक-24.07.2023 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर सभी सम्बन्धित दस्तावेज के साथ उपस्थित हों। अपीलकर्ता चाहें तो अगली सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं, चाहें तो लिखित रूप में अपना पक्ष आयोग को भेज सकते हैं।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-24.07.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक-24.07.2023 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div data-bbox="379 1048 670 1249" style="text-align: center;"> 20.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div data-bbox="906 1048 1220 1249" style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	